तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एल.आर / 11784 / 2002 / दौसा बद्री नारायण बनाम चौथमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री सुबौध जैन, अभिभाषक प्रार्थी।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29–12–2023

यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2002 एवं उप जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उदावाला के नामांतरकरण संख्या 100 के द्वारा खातेदार नंदा पुत्र गंगाधर के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण बहक बद्रीनारायण, रामकिशोर, प्रहलाद पिसरान नंदा ब्राह्मण के नाम दर्ज किया गया, जिसे ग्राम पंचायत बोरोदा द्वारा दिनांक 5–9–1978 को स्वीकृत किया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अप्रार्थी चौथमल पुत्र नंदा द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने आदेश दिनांक 26–2–2002 से अपील स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 100 पर पारित आदेश दिनांक 5–9–1978 निरस्त कर दिया एवं नायब तहसीलदार, दौसा को वारिसान की सही जांच का पुनः नामांतरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 7–8–2002 द्वारा अपील अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश दिनांक 7–8–2002 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 5–9–1978 के विरूद्ध करीब 25 वर्ष बाद प्रस्तुत मियाद बाहर अपील में मियाद के प्रश्न को गौण समझकर अपीलाधीन आदेश पारित किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एल.आर / 11784 / 2002 / दौसा बद्री नारायण बनाम चौथमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीपीसी का प्रार्थना–पत्र बाबत् इजाजत अपील का पेश करना आवश्यक था, जो पेश नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का खुलासा होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 विवादित आराजी पर अपना हक अधिकार त्याग कर ग्राम गणेशपुरा में करीब 45 वर्ष से रह रहे हैं तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 भी अपने शपथ–पत्र में यह मानती है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है। अतः निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2002 व उप जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–2002 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत, बोरोदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–1978 को यथावत रखा जावे। 5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मृतक नंदा पुत्र गंगाधार के पुत्र नानगराम, चौथमल, बद्रीनारायण, रामकिशोर, प्रहलाद थे। ग्राम पंचायत बोरोदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 5–11–2001 के आधार पर भी नंदाराम के पुत्र नानगराम, चौथमल, बद्रीनारायण, रामकिशाोर व प्रहलाद को एक ही पिता के पुत्रान माना है। किन्तु नंदा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 5–9–78 खोला गया था, वह केवल तीन पुत्रों बद्रीनाराण, रामकिशोर व प्रहलाद के नाम ही स्वीकृत किया गया है। जबकि उसके पांच पुत्र थे। उक्त निर्णय के विरूद्ध नंदा के एक पुत्र चौथमल द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील उप जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 26–2–2002 से नंदा के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड किया गया। पिता की सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। इसलिए पैतृक सम्पति में से अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु अपील की गई। प्रथम व द्वितीय दोनो अपीलीय न्यायालयों ने ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 5–9–1978 को खारिज किया गया है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी में आती है, जिससे पक्षकारों के हकों का निर्धारण नहीं होता है। पक्षकारों के हकों का निर्धारण सक्षम न्यायालय से दावे के माध्यम से ही करवाया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिला बजरंगी विरूद्ध बोदरीबाई 2003(2) डीएनजे(एससी) पृष्ठ 346 में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एल.आर / 11784 / 2002 / दौसा बद्री नारायण बनाम चौथमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

माना है कि –

"That mutation proceedings before Revenue Authorities are not judicial proceedings in any court of law and does not decide question of title to immovable property ."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003 (1) डीएनजे राज 1143 में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

"Thus in view of the above law on the subject can be summarised that fiscal entries like mutation do not represent or creat any tille or interest in the property nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approached the appropriate forum for adjudication of title".

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1996)6 एससीसी पेज 223 में नामान्तरकरण के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

"Mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title, not has it any presumptive value of title. It only enables the person, in whose favour the mutation is entered, to pay the land revenue in question ."

इस प्रकार नामान्तरकरण द्वारा किसी को स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । हस्तगत निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है–

"84. Power of Board to call for records and revise orders– The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board if the court or officer by whom the case was decided appears to have exercised a jurisdiction not vested in it or him by law, or to have exercise jurisdiction so vested, or to haveacted in the exercise of its or his jurisdiction illegally or with material irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit."

उक्त धारा के प्रावधानों के मध्य नजर आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तथ्यात्मक, विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो के आधार पर पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

7– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य